

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 अगस्त, 2024

विषय: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1251/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट में खिर्चना-तोली-चुफात तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिनके अन्तर्गत मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 कि०मी० व लागत ₹ 6.00 लाख है, के शासन सूतर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 6.00 लाख (₹ छः लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, निम्नांकित शर्तों के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- ii. उक्त कार्य हेतु ल००न०व० उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD)01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या- 1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- iii. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- iv. कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण

13/2024

विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

- vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- vii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशयक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2025 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337सड़क निर्माण कार्य-03राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-1/233243/2024, दिनांक 14 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 16-08-2024 11:15:02

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाँउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।

513/2024

6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 3वां वृत्त, लो.नि.वि., पिथौरागढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लो.नि.वि., अम्कोट।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।